रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 1993/पौष 19, 1914
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9, 1993/PAUSA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 1992

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी कार्य विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी कार्य विभाग, अधीनस्थ कार्यालय (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1992 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
11	12
(a) 66⅔% by promotion failing which by transfer on deputation. (b) 33⅓% by transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Promotion : Investigator with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Government :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Selection Committee (For direct recruitment consisting of) : 1. Secretary —Chairman 2. Joint Secretary (A) —Member 3. Technical Officer concerned of the rank of Director/Deputy Secretary —Member 4. Director/Deputy Secretary (A) —Member Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation.). 1. Joint Secretary incharge of administration —Chaizman 2. Technical officer concerned of the rank of Deputy Secretary/Director —Member 3. Deputy Secretary/Director incharge of admn. —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[No. A—12011/27/90 Ad. II]
BHARAT PRASAD, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1992

सा.का.नि..26..:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, लिपिक श्रेणी 2/टेलीप्रिंटर प्रचालक/टेलीफोन परिचर/भारतोलार लिपिक/हिन्दी भाषा टंकक के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 34 के सामने, स्तंभ 11 में,—

(क) पद (ii) में, "जिन्होंने" शब्द के पश्चात् "आकाशवाणी में" शब्द जोड़े जाएंगे।

(ख) पद (iii) में, "जिन्होंने" शब्द के पश्चात् "आकाशवाणी में" शब्द जोड़े जाएंगे।

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. सं. 1176 तारीख 30-11-64 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—

1.	अधिसूचना	संख्या	11/5/64-बी (ए)	तारीख 9-8-1965
2.	"	"	5/2/67-बी (ए)	तारीख 20-3-1967
3.	"	"	7/2/68-बी (ए)	तारीख 14-6-1968
4.	"	"	7/8/66-बी (ए)	तारीख 31-1-1970
5.	"	"	20/8/67-बी (ए)	तारीख 24-2-1970
6.	"	"	16/20/69-बी (ए)	तारीख 30-3-1970
7.	"	"	1/7/70-बी (ए)	तारीख 18-3-1971
8.	"	"	1/8/71-बी (ए)	तारीख 29-1-1972
9.	"	"	1/8/71-बी (ए)	तारीख 2-2-1972
10.	"	"	1/11/71-बी (ए)	तारीख 5-5-1972
11.	"	"	1/14/72-बी (ए)	तारीख 16-6-1972
12.	"	"	1/7/71-बी (ए)	तारीख 14-11-1972
13.	"	"	1/6/73-बी (ए)	तारीख 23-5-1973
14.	"	"	1/11/73-बी (ए)	तारीख 29-6-1973
15.	"	"	1/5/73-बी (ए)	तारीख 20-8-1973
16.	"	"	1/7/70-बी (ए)	तारीख 15-5-1974
17.	"	"	1/7/70-बी (ए)	तारीख 8-8-1974
18.	"	"	1/3/74-बी (ए)	तारीख 21-5-1976
19.	"	"	12019/10/79-बी (ए)	तारीख 26-12-1978
20.	"	"	12091/1/78-बी (ए)	तारीख 17-12-1980
21.	"	"	12091/8/80-बी (ए)	तारीख 27-4-1981
22.	"	"	12019/8/81-बी (ए)	तारीख 17-5-1982
23.	"	"	12019/4/81-बी (ए)	तारीख 11-4-1982
24.	"	"	45011/83/82-बी (ए)	तारीख 19-9-1983
25.	"	"	7/19/83-एआर/बी (ए)	तारीख 3-7-1984
26.	"	"	3/25/83—सीआरसीआर/एस-2/आकाशवाणी/बी (ए)	तारीख 2-6-1987
27.	"	"	7/5/86-एआर/आकाशवाणी/बी (ए)	तारीख 10-9-1987
28.	"	"	7/13/86-एआर/बी (ए)	तारीख 10-11-1987
29.	"	"	8/36/88-एस-2/बी (ए)	तारीख 30-12-1987
30.	"	"	14/19/86-एस-2//बी (ए)	तारीख 27-4-1988
31.	"	"	2/7/83—सीआरसीआर/एस-2/एस-8/बी (ए)	तारीख 23-5-1988
32.	"	"	8/38/87-एस-2/बी (ए)	तारीख 21-6-1988
33.	"	"	8/38/87-एस-2/बी (ए)	तारीख 22-6-1989
34.	"	"	8/38/87-एस-2/बी (ए)	तारीख 15-12-1989
35.	"	"	9/16/84-एआर/बी (ए)	तारीख 25-4-1991

[सं. 5/31/91—एस-2]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th December, 1992

G.S.R. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 34 relating to the post of Clerk Grade-II/Teleprinter operator/Telephone Attendant|Tabulator Clerk|Hindi Language Typist, in column 11,—

(a) In item (ii), the words "in the All India Radio" shall be added at the end;

(b) In item (iii), the words "in the All India Radio" shall be added at the end;

NOTE.—Principal rules were notified vide G.S.R. No. 1176 dated 30-11-1964 and subsequently amended by :—

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-65
2. Notification No. 5|2|67-B(A), dated 20-3-67
3. Notification No. 7|2|68-B(A), dated 14-6-68
4. Notification No. 7|8|66-B(A), dated 31-1-70
5. Notification No. 20|8|67-B(A), dated 24-2-70
6. Notification No. 16|20|69-B(A), dated 30-3-70

7. Notification No. 1|7|70-B(A), dated 18-3-71
8. Notification No. 1|8|71-B(A), dated 29-1-72
9. Notification No. 1|8|71-B(A), dated 22-2-72
10. Notification No. 1|11|72-B(A), dated 5-5-72
11. Notification No. 1|14|72-B(A), dated 16-6-72
12. Notification No. 1|7|71-B(A), dt. 14-11-72
13. Notification No. 1|6|73-B(A), dt. 23-5-73
14. Notification No. 1|11|73-B(A), dt. 29-6-73
15. Notification No. 1|5|73-B(A), dt. 20-8-73
16. Notification No. 1|7|70-B(A), dt. 15-5-74.
17. Notification No. 1|7|70-B(A), dt. 8-8-74
18. Notification No. 1|3|74-B(A), dt. 21-5-76
19. Notification No. 12019|10|79-B(A), dt. 26-12-78
20. Notification No. 12019|1|78-B(A), dt. 17-12-80
21. Notification No. 12019|8|80-B(A), dt. 27-4-81
22. Notification No. 12019|8|81-B(A), dt. 17-5-82
23. Notification No. 12019|4|81-B(A), dt. 11-4-82
24. Notification No. 45011|83|82-B(A), dt. 19-9-83
25. Notification No. 7|19|83-AR|B(A), dt. 3-7-84
26. Notification No. 3|25|83-CRCR|S.II|AIR|B(A), dt. 2-6-87
27. Notification No. 7|5|86-AR|AIR|B(A), dt. 10-9-87
28. Notification No. 7|13|86-AR|B(A), dt. 10-11-87
29. Notification No. 8|36|87-S.II|B(A), dt. 30-12-87
30. Notification No. 14|19|86-S.II|B(A), dt. 27-4-88
31. Notification No. 2|7|83-CRCR|S.II|S.VIII|B(A), dt. 23-3-83
32. Notification No. 8|38|87-S.II|B(A), dt. 21-6-88
33. Notification No. 8|38|87-S.II|B(A), dt. 22-6-88
34. Notification No. 8|38|87-S.II|B|A., dt. 15-12-89.

[No. 5/31/91-S.II]
KASHMIRI LAL, Under Secy.

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1992

सा०का०नि० 27—भारत के दिनांक 20 अगस्त, 1977 के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में पृष्ठ 2464 पर, नियम 10 (प्रविष्टि) में प्रकाशित, भारत सरकार (पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग) के दिनांक 15 जून, 1977 के सा. का. नि. सं. 1085 के संशोधन में :—

"सीधी भर्ती द्वारा" शब्दों

के नीचे शब्द जोड़े जाएं :—

"पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन के लिए छुट्टियों या अन्य परिस्थितियों के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि या इससे अधिक के लिए दूर रहने के कारण हुई रिक्ति, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जाए।"

[सं. एफ- 14- 4/76 - एस. डी.]
अमिताभ राजन, उप सचिव

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 22nd December, 1992

G.S.R. 27.—In modification of the Government of India's (erstwhile Ministry of Education, Department of Social Welfare) GSR No. 1085 dated the 15th June, 1977, published in the Gazette of India, Part-II Section 3, sub-section (i), dated the 20th August, 1977 on page 2464, in rule 10 (Entry) :—

Below "By direct recruitment" may be added "Vacancies cause by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from the officers of the Central Government".

[No. F. 14-4/76-SD]
AMITABH RAJAN, Dy. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1992

सा. का. नि. 28 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 13 जनवरी, 1973 में सा. का. नि. सं. 34 के रूप में भारत सरकार के पूर्व शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ29—6/72—टी 1 तारीख 30 दिसंबर, 1972 के साथ प्रकाशित साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1972 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में फोटोग्राफर, फोटोग्राफर (सूक्ष्म), नक्शानवीस, प्रयोगशाला सहायक (जैव-रसायन) प्रधान बढ़ई, कापी होल्डर, ज्येष्ठ भंडारी, अभिलेखपाल, अनुलिपित्र आपरेटर, पुस्तकालय परिचर, प्रयोगशाला परिचर, संग्रहालय परिचर और चलचित्र परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह "ग" और और "घ" पद) भर्ती नियम,, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—नियम 4 में उपबंधित के सिवाए उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 से स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. आरंभिक गठन :

(1) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में ऐसे समस्त समूह "ग" और "घ" अधिकारी जो फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, (सूक्ष्म) नक्शानवीस, प्रयोगशाला सहायक (जैव-रसायन), प्रधान बढ़ई, कापी होल्डर, ज्येष्ठ भंडारी, अभिलेखपाल, अनुलिपित्र आपरेटर, पुस्तकालय परिचर, प्रयोगशाला परिचर, संग्रहालय परिचर और चलचित्र परिचर का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, आरंभिक गठन के प्रक्रम पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।